न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 225/2014

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. ओमाराम पुत्र देवाराम जाति-नाई निवासी-ढाणी निम्बेटी ग्राम पंचायत-रास, तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. नोरतमल पुत्र देवा 2. गणपतलाल पुत्र देवा 3. मोहनलाल पुत्र देवा 4. जगदीश पुत्र देवा सभी जाति-नाई, निवासी-ढाणी निम्बेटी ग्राम पंचायत-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली 5. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.11.11.2014

उपस्थितः- 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांकः- 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 3112/6 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बा०अव्वल व खसरा नम्बर 3112/7 रकबा 0-04 बिस्वा गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3123 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा बारानी 2, खसरा नं0 3125 रकबा 0.02 गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3126 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं0 3127 रकबा 7 बीघा किस्म चाही सोयम की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित हैं। जिसे इस वाद में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादग्रस्त आराजी की चालू वर्ष की जमाबन्दी वाद-पत्र के साथ पेश की है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि संयुक्त कृषि भूमि होने के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी काबिज होकर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित खसरान की भूमि पूर्व में वादी के पिता देवा जी के नाम से दर्ज थी। देवा के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड में देवा के वारीसानों को रेकार्ड पर लेते हुए देवा जी के उत्तराधिकारीयों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये है। उस दरमियान वादी नाबालिग अवस्था में था। वादी का कोई निश्चित नाम भी नही रखा गया था। इस कारण वादी को घर में बोलते नाम घनश्याम का इन्द्राज करवा दिया था, जो उस समय से लेकर आज दिन तक राजस्व रेकार्ड में वादी का ना घनश्याम (नाबालिग) दर्ज चला आ रहा हैं, जो गलत है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम ओमाराम है और वादी अब बालिग हो चुका है और वादी के राशनकार्ड आधारकार्ड, पहचानपत्र, स्कूल रेकर्ड में वादी का नाम ओमाराम दर्ज है, जो सही व वास्तविक नाम हैं। जिनकी फोटो प्रतिया वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित खसरान की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

भूमियों में वादी का नाम घनश्याम दर्ज हैं जो गलत हैं। इस कारण वादी को अपने नाम की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम के कारण काश्तकारी संबंधी सरकारी योजनाओं एवं बैंकों से ऋण संबंधी योजनाओं से होने वाले लाभ से वादी को वंचित होना पड रहा है तथा कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं तथा वादी को अपने उक्त राजस्व रेकार्ड में अपने गलत नाम घनश्याम को विलोपित करवाने एंव उसके स्थान पर अपना नाम सही नाम ओमाराम नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। उक्त वर्णित खसरान की भूमियों के राजस्व रेकार्ड में वादी की नाबालिग अवस्था को दर्शा रखी हैं। जबकि वादी बालिग हो चुका है तथा वर्तमान में वादी की स्कूल रेकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि 11/07/1987 हैं। जिसके अनुसार वादी पूर्ण रूप बालिग है तथा अपने परिवार से अलग निवास कर रहा हैं। इसलिए उक्त खसरान की भूमियों के राजस्व रेकार्ड में वादी की नाबालिग अवस्था के स्थान पर बालिग अवस्था दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी स्वयं एक काश्तकार है तथा वादी अपना व अपने परिवार का भरण पोषण एवं पालन पोषण के लिए भी उक्त काश्तकारी कार्य पर ही आश्रित होकर जीवन निर्वाह कर रहा हैं। इसलिए वादी को भूमि से संबंधित सरकारी काश्तकारी योजनाओं संबंधी सरकारी प्रकियाओं का निर्वाह करने में भी उसके राजस्व रेकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों में अलग-अलग नाम होने के कारण योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ रहा है तथा अनावश्यक शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित भी होना पड रहा है। वादी माह जुलाई में अपने राजस्व रेकार्ड की नकल लेकर संबंधित बैंक में कृषि ऋण हेतु सर्म्क किया। तब वादी के सम्पूर्ण दस्तावेजात को जांच ने के बाद संबंधित बैंक द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि जब तक आपके राजस्व रेकार्ड को आप दुरूस्त नहीं करवा लेते, तब तक हम आपको ऋण उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पडा हैं। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 6 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही है। उक्त कारणों से वादी के हक में प्रथम दृष्टया केस बेखूबी साबित है। उक्त कारण से वादी के हक में सुविध का सन्तुलन है। उक्त कारण से यदि वादी के राजस्व रेकार्ड में नाम की दुरूस्ती नहीं की गयी, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन नही किया जा सकता। प्रस्तुत वाद का कारण माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न होने से माननीय न्यायालय को सुनवायी का क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किये गये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद सम्मनस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। वादी ने वाद के समर्थन में शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1, पी0डब्ल्यू0-2 एवं पी0डब्ल्यू0-3 पेश किये, जो सा0मि0 किये गये। चूँकि प्रति0 सं0 1 फौत हो चुकी हैं। वकील वादी ने 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रति0 सं0 1 फौत के कायम मुकाम पूर्व से ही प्रतिवादी पक्षकार हैं, जो प्रति0 सं0 2 से 5 हैं। इसलिये संशोधित शीर्षक पेश करने की आवश्यकता नहीं हैं। प्रति0 सं0 1 सुगनीदेवी के कायम मुकाम पूर्व से ही रेकर्ड पर होने से सुगनीदेवी का नाम वाद में प्रति0 सं0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

1 को हटाया जावें। माफिक वकील ईश्तदुआ प्रति0 सं0 1 का नाम हटाया जाता हैं। वादी ने जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में आधार कार्ड सं0 236011736325, प्रमाण-पत्र राशन कार्ड सं0 1028 एवं चुनाव परिचय पत्र सं0 NQJ/0253245 आदि पेश किया हैं। उक्त दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि राजस्व अभिलेख में वादी का गलत नाम दर्ज किया गया हैं। अतः सही नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया हैं। सबूत से वादी का सही नाम ओमाराम होने से दर्ज कराने का अधिकारी हैं। लिहाजा वादी का नाम घनश्याम के स्थान पर शुद्धि-पत्र जरिए वास्तविक नाम ओमाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय तहसील-जैतारण, जिला-पाली में स्थित खसरा नम्बर 3112/6 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बा0अव्वल व खसरा नम्बर 3112/7 रकबा 0-04 बिस्वा गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3123 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा बारानी 2, खसरा नं0 3125 रकबा 0.02 गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3126 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं0 3127 रकबा 7 बीघा किस्म चाही सोयम में घनश्याम को हटाकर ओमाराम घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 सुगनीदेवी फौत होने से राजस्व रेकर्ड से नाम हटाया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. ओमाराम पुत्र देवाराम जाति–नाई निवासी–ढाणी निम्बेटी ग्राम पंचायत–रास तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. नोरतमल पुत्र देवा 2. गणपतलाल पुत्र देवा 3. मोहनलाल पुत्र देवा 4. जगदीश पुत्र देवा सभी जाति–नाई निवासी–ढाणी निम्बेटी ग्राम पंचायत–रास तहसील–जैतारण, जिला–पाली 5. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार(लैण्ड होल्डर) जैतारण

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0:225/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–रास–द्वितीय, पटवार हल्का–रास–द्वितीय तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बर 3112/6 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा बा0अव्वल व खसरा नम्बर 3112/7 रकबा 0–04 बिस्वा गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3123 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा बारानी 2, खसरा नं0 3125 रकबा 0.02 गै.मु.बेरा, खसरा नं0 3126 रकबा 35 बीघा 12 बिस्वा किस्म चाही सोयम, खसरा नं0 3127 रकबा 7 बीघा किस्म चाही सोयम में घनश्याम को हटाकर ओमाराम घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 सुगनीदेवी (फौत) होने से राजस्व रेकर्ड से नाम हटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	-००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	०१	-००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०५	-००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०५	·००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	१२	-००	मिजानः-	—	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner